

डिक्री व मुकदमें इबादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्बा दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत सहायक कलक्टर सेडवा मुकाम सेडवा जिला बाडमेर
व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.


वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. केसाराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खाराडेर पटवार क्षेत्र ओगाला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामडला तहसील सेडवा जिला बाडमेर		1. अचलाराम 2. पेमाराम पि. मालाराम 3. मोटाराम 4. पावूराम पि. मंगनाराम 5. मेहराराम 6. रामाराम 7. धनाराम 8. रूपाराम पि. लूम्वाराम 9. श्रीमति पूरोदेवी पत्नी लूम्वाराम जाति जाट निवासी खाराडेर पटवार क्षेत्र ओगाला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामडला तहसील सेडवा जिला बाडमेर 10. एस.बी.बी.जे. बामडला तहसील सेडवा 11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेडवा जिला बाडमेर।


मुकदमा नम्बर : 10/2019

दावा बाबत : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 व 209 RT Act

केसाराम बनाम अचलाराम वगैरा

यह मुकदमा आज वारंते इनफिसाल फतई रू-ब-रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिन जानिव मुदई वादी वकील करनाराम कड़वासरा उपस्थित मनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार सेडवा/धनाऊ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 07.02.2022 को प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगा न	बरंग
1	केसाराम पुत्र मालाराम कौम जाट सा0 खाराडेर तहसील सेडवा खातेदार	खाराडेर	111	18.19	बा.सो.	1.03	पीला
			69	4.09	बा.सो.	0.22	
		योग	2	23.08	बा.सो.	1.25	
2	मोटा, पावू पि. मगना मेहरा, रामा, धना, रूपा पि. लूम्बा, पूरो पत्नी लूम्बा अचला, पेमा पि. माला, अचलाराम, पेमाराम पि. मालाराम, पूरो पत्नी लूम्बा, पूरो पत्नी लूम्वाराम अचलाराम, पेमाराम पि. मालाराम, अचलाराम पुत्र मालाराम, पेमाराम पुत्र मालाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन-अचला वल्द माला मोटा वल्द मगना का हि0 SBBJ शाखा बामडला	खाराडेर	109	2.04	बा.दो.	2.20	आसमानी
			110	0.10	गै.मु. ढाणी	-	
			111	144.08	बा.सो.	7.14	
			152	6.17	बा.सो.		
			4	153.19	-	9.68	


सहायक कलक्टर

खातेदार के नाम पर खोले गये हैं।
 यदि कोई व्यक्ति अपने खातेदार के नाम पर
 कोई भी खाता खोलता है तो उसे
 कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा।
 तहसीलदार सैडवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की पालना अनुसूचि विभाजन की अन्तिम
 दिक्की नक्शे में अलग-अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती है। उपरोक्तानुसार खातेदार के
 हिस्से की आराजी का नक्शा लट्टा में तरमीम करने एवम् पृथक पृथक खातेदार में दर्ज करने
 हेतु तहसीलदार सैडवा को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।
 बसंत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.06.2022 को जारी की गई।

खारादेर	69	31.06	का.सो.	157	आसमाना
	1	31.06	का.सो.	157	



(Signature)
 (रामजी भाई कलबी)
 सहायक कलेक्टर
 SDO सैडवा
 SDO सैडवा

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यह		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			

(Signature)
 सहायक कलेक्टर
 SDO सैडवा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा
(जिलासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलवी प्रभु ए.एस.)

क्र. संख्या - 10 / 2019

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 53.188 व 209 RT Act


वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कंसाराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खाराडेर पटवार क्षेत्र ओगाला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामडला तहसील सेड़वा जिला बाडमेर		1. अचलाराम 2. वैमाराम पि. मालाराम 3. मोटाराम 4. पादूराम पि. मंगलाराम 5. मेखाराम 6. रामाराम 7. धनाराम 8. कायराम पि. लुम्बाराम 9. श्रीमति पुरोदेवी पत्नी लुम्बाराम जाति जाट निवासी खाराडेर पटवार क्षेत्र ओगाला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामडला तहसील सेड़वा जिला बाडमेर 10. एस.बी.बी.जे. बामडला तहसील सेड़वा 11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाडमेर।

अधिवक्तागण - वादीगण वकील - श्री करनाराम कडवासरा

--:निर्णय :-

दिनांक 17.06.2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाडमेर द्वारा दिनांक 22.11.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी जिसकी पालना में तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक/भू.अ./2022/379 दिनांक 07.02.2022 द्वारा मौजा खाराडेर पटवार हल्का ओगाला तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 109, 110, 111, 152, 69 रकबा क्रमशः 02.04, 0.10, 163.07, 6.17, 35.15 बीघा का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वादी वकील उप0। वादी वकील ने तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनने का निवेदन किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौके पर उपस्थिति मौतबरान एवं वादी के रूबरू कब्जा काश्त एवं मौका देखा गया। ग्राम खाराडेर में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी भूमि है। ग्राम खाराडेर के खसरा संख्या 109 रकबा 02.04 किस्म चा0 दोयम, खसरा संख्या 110 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा संख्या 111 रकबा 163.07 किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 152 रकबा 06.17 किस्म बारानी सोयम भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है-


महायक कलक्टर
SDO सेड़वा

नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरग
केसाराम पुत्र मालाराम कौम जाट सा० खाराडेर तहसील सेडवा खातेदार	खाराडेर	111	18.19	बा.सो.	1.03	पीला
		69	4.09	बा.सो.	0.22	
	योग	2	23.08	बा.सो.	1.25	
2 मोटा, पाबू पि. मगना मेहरा, रामा, धना, रूपा पि. लूम्बा, पूरो पत्नी लूम्बा अचला, पेमा पि. माला, अचलाराम, पैमाराम पि. मालाराम, पूरो पत्नी लूम्बा, पूरो पत्नी लूम्बाराम अचलाराम, पैमाराम पि. मालाराम, अचलाराम पुत्र मालाराम, पैमाराम पुत्र मालाराम कौम जाट सा० देह खातेदार रहन-अचला वल्द माला मोटा वल्द मगना का हि० SBBJ शाखा बामडला	खाराडेर	109	2.04	बा.दो.	2.20	आसमानी
		110	0.10	गै.मु. ढाणी	-	
		111	144.08	बा.सो.	7.14	
		152	6.17	बा.सो.	0.34	
		4	153.19	-	9.68	
3. मोटा, पाबू पि. मगना, मेहरा, रामा, धना, रूपा पि. लूम्बा, पूरो पत्नी लूम्बा अचला, पेमा पि. माला, पूरो पि. लूम्बा अचला पेमा पि. माला कौम जाट सा० खाराडेर तहसील सेडवा खातेदार रहन मोटा वल्द मगना का हि० SBBJ शाखा बामडला	खाराडेर	69	31.06	बा.सो.	1.57	आसमानी
		1	31.06	बा.सो.	1.57	

उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर वादी केसाराम के कब्जा काश्त अनुसार "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड" तैयार किया गया तथा वादी को इनकी संयुक्त खातेदारी में चल रही डामर सड़क तक पहुंचने हेतु भूमि प्रदान की गई है। संलग्न नक्शे में वादी केसाराम का कब्जा काश्त बरंग पीला तथा प्रतिवादीगण अचलाराम वगैरा का कब्जा काश्त आसमानी दर्शाया गया है

तहसीलदार सेडवा को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सेडवा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 07.02.2022 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिले दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया

गया।



(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) सेडवा